–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 50/2022

उनवान

1. गजानन्द पुत्र लादूलाल जाति ढोली निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. मैना पत्नि गोपाल जाति जाट ,
2. सतोष पत्नि प्रभू जाति गुर्जर,
3. पारसमल ,
4. ताराचन्द पुत्र स्व. लादूलाल
5. सुमित्रादेवी पत्नि पवनकुमार ,
6. पंकज पुत्र पवनकुमार,
7. राजकुमार पुत्र पवनकुमार ,
8. सीमा पुत्री पवनकुमार समस्त जाति महाजन समस्त निवासीगण देराठू ,
9. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद,
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी
9 व 10 जरियें राज0 पैरोकार
3 से 5 अनुपस्थित

11. जगदीश पुत्र लादूलाल,
12. शान्ति पुत्री लादूलाल जातिगण ढोली निवासी देराठू नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीगण :– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

दिनांक :– 12.09.23

–: आदेश :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन किया कि ग्राम देराठू के वंकिंग खसरा नम्बर 119 रकबा [illegible] 130 [illegible]–0 हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.15 व 252 रकबा 0.42 [illegible] प्रार्थी के पिता लादूलाल पुत्र हमीरा द्वारा तत्कालीन खातेदार लादूलाल [illegible] से दिनांक 11.09.1974 को क्रय कर कब्जा व दखल प्राप्त कर लिया था। विक्रेता [illegible]रिस अप्रार्थी संख्या 3 से

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पूर्व विक्रय पत्र की पालना में आराजी मुतनाजा केता/वारिस के नाम दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के नाम दर्ज कर दी तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 8 ने गैर कानूनी तरीके से आराजी मुतनाजा का बैचान अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कर दिया तथा राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा गलत तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतारण करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी उपस्थित। राज0 पैरोकार अपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 11.09.1974 का विक्रय पत्र मिथ्या व फर्जी है। मूल विक्रय पत्र में कांट-छांट की गयी है जिस बाबत प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। उक्त संदिग्ध विक्रय पत्र के आधार पर 48 वर्ष पश्चात वाद पेश किया गया है। अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के पक्ष में आराजी मुतनाजा की विरासत विधिवत दर्ज हुयी। जिनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को उक्त आराजी का बैचान किया गया। आराजी मुतनाजा अधिकार अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है तथा काबिज काश्त है। खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अतः आवेदन पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u> :- विद्वान अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया। हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.15, 252 रकबा 0.42 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 119 व 130 लादूलाल पुत्र मानमल के नाम खातेदारी दर्ज थी। जो लादूलाल के फौत होने के बाद अप्रार्थी संख्या 3 से 8 के नाम जरियें विरासत दर्ज हुयी। प्रार्थी का कथन है कि तत्कालीन खातेदार लादूलाल पुत्र मानमल ने आराजी मुतनाजा का बैचान उनके पिता को किया था। प्रार्थी द्वारां विक्रय पत्र की छाया प्रति पेश की है। किन्तु उक्त विक्रय पत्र में विक्रय किये गये खसरा नम्बर में काट-छांट की गयी है। प्रकरण में विक्रय पत्र बाबत दिनांक 31.5.22 को आदेश पारित किये गये थे उसके उपरान्त भी प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि विक्रय पत्र में अंकित चौसाला खसरा नम्बर राजस्व अभिलेख से मिलान होते है। किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रकरण में चौसाला जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश नही किये है। प्रार्थी द्वारा तथाकथित विक्रय पत्र निष्पादन के लगभग 48 वर्ष बाद उक्त वाद पेश किया है। धारा 88 रजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश करने हेतु कोई समय सीमा नही है किन्तु प्रार्थी ने 48 वर्ष बाद वाद पेश करने का कोई सद्भाविक कारण नही बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा उक्त आराजी जरियें विक्रय पत्र कय की है इसलिये राजस्व अभिनलेख में उक्त आराजी उनके नाम खातेदारी दर्ज है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रारम्भिक स्तर पर रेकार्डेड खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही निर्धारित होंगे। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका साक्ष्य व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण में अपना पक्ष में सिद्व करने में असफल रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र के तथ्यों का विस्तृत निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि से ही होगा। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र छाया प्रति है। विक्रय पत्र का मिलान राजस्व अभिलेख से नही होता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सद्भाविक केता है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि रेकार्डेड खातेदार को विपरित परिस्थितियों के अतिरिक्त पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अतः ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया विरूद्ध प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्ध प्रार्थी सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 271 रकबा 0.15 व 252 रकबा 0.42 की आराजी की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:34 IST
Reason: SelfAttested